न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—350/2011/223 (2011/00062)

1. छोगाराम पुत्र स्व0 जोधा,
2. बालूराम पुत्र स्व0 जोधा, (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— भंवरलाल पुत्र स्व0 बालूराम,
   2/2— मोहनलाल पुत्र स्व0 बालूराम,
   2/3— शंकरलाल पुत्र स्व0 बालूराम,
   2/4— श्रवणलाल पुत्र स्व0 बालूराम,
   2/5— श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्री स्व0 बालूराम,
3. गंगाराम पुत्र स्व0 जोधा,
4. छोटूराम पुत्र स्व0 जोधा, (मृतक) जरिये वारिसानः—
   4/1— श्रीमती छोटी देवी पत्नि स्व0 छोटूराम
   समस्त जाति भांबी, निवासी ग्राम माकड़वाली, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।
2.

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर, अजमेर दिनांक 31.10.1984 अंतर्गत वाद संख्या 8/1982.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 11.10.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.1984 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादी ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 80, 91 एवं 92—ए राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात स्थित ग्राम माकड़वाली, तह0 व जिला अजमेर में अवस्थित साबिक खाता संख्या 287 व 531 के खसरा नंबर 2705 लगायत 2712 एवं 2731 जिनके भू—संशोधन पश्चात् कायम किये गये नवीन खसरा

नंबर 2985 लगायत 2992 एवं 3020 व 3021 की भूमियां पूर्व में श्रीमती सुवापत्नि मोहन, जाति ब्राहमण के नाम खातेदारी की रही थी । जिनका स्वर्गवास लगभग 25 वर्ष पूर्व ही हो चुका है और उसके पति के जीवनकाल में ही वादीगण/अपीलांटस एवं उनके पिता स्व0 जोधा संवत् 2015 से पूर्व उक्त वर्णित भूमियों पर मौरूसी काश्तकार की हैसियत से काबिज चले आ रहे थे और आज दिवस तक काबिज काश्त है । मोहन एवं उसकी पत्नी श्रीमती सुवा कके स्वर्गवास के बाद उनके कोई जायंइदा वारिस नहीं है । वादीगण/अपीलांटस एवं उनके पिता स्व0 जोधा को धारा 15 व 19 राज0कातश0अधि0 के तहत हक खातेदारी प्रदान नहीं की जबकि भू–संशोधन के दौरान रकबा 16–0–7 का पर्चा भू–संशोधन भी वादीगण के नाम जारी किया जा चुका है परन्तु सहवन से शेष रकबे का पर्चा वादीगण के नाम जारी नहीं किया गया जबकि विधिक प्रभाव से वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है । अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.1984 से वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अपीलांट द्वारा विवादित आराजी पर राज0काश्त0अधि0 1955 के अजमेर जिले में प्रभाव में आने से पूर्व तथा प्रभाव में आने की तिथि से उनके पूर्वाधिकारी का विधिवत् बिना किसी दखल के कब्ज काश्त चला आ रहा है जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2018 प्रदर्श 1, खसरा गिरदावरी संवत् 2019 प्रदर्श–2, खसरा गिरदावरी संवत् 2020 से 2023 प्रदर्श–3, पर्चा भू–सशोधन प्रदर्श–4 से भी होती है । मूल खातेदार मोहन व उसकी पत्नी श्रीमती सुआ का स्वर्गवास हो जाने तथा उसके कोई विधिक वारिस नहीं रह जाने से के तथ्य भी अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष सिद्ध किये जाने के बावजूद अधी0न्याया0 ने वाद को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि वादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष मौखिक बयानों लगान की रसीदों से अपना वाद एवं कब्जा सिद्ध किया था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदारी घोषित नहीं कर विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत् अपीलांट अपने अभिभाषक पर निर्भर थे तथा उनके द्वारा प्रार्थीगण की साक्ष्य होने के बाद यह हिदायत दी कि प्रकरण में जब भी बहस होकर निर्णय पारित किया जावेगा तो प्रार्थीगण को सूचित कर दिया जावेगा । प्रार्थीगण को प्रत्येक पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं हैं इस प्रकार प्राथीगण को निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.1984 की जानकारी नहीं हुई । यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के अशिक्षित व्यक्ति है जिन्हें विधिक प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है । इस कारण से प्रकरण के तथ्यों से अनभिज्ञ रहे एवं इसी दौरान अकाल की स्थिति के कारण रोजगार हेतु अजमेर से बाहर चले गये तत्पश्चात्

सहायक जिलाधीश, अजमेर के न्यायालय को समाप्त कर राज्य सरकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के न्यायालय का गठन किया गया जिससे पत्रावली उक्त न्यायालय को स्थानातंरित कर दी गई एवं पत्रावली दिनांक 31.10.1984 को निर्णित होने से जिला अभिलेखागबार में जमा करवा दी गई । दिनांक 29.7.2011 को कुछ व्यक्तियों द्वारा आराजी मुतनाजा के मौके पर आकर प्रार्थीगण के हक, अधिकार की भूमियों को विक्रय किये जाने हेतु दिखाया तो प्रार्थीगण को आशंका होने पर अपने वर्तमान अधिवक्ता से संपर्क कर प्रकरण से संबंधित पुराने दस्तावेज दिखाये तो उनके द्वारा जानकारी किये जाने पर दिनांक 1.8.2011 को ज्ञात हुआ कि प्रकरण का निर्णय दिनांक 31.10.1984 को हो चुका है । तत्पश्चात् अपीलांटस ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतियों हेतु आवेदन किया तथा प्रतियां प्राप्त होने पर अधिवक्ता से कानूनी राय लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अपीलांटस ने लगभग 27 वर्षो के भारी विलंब से अपील पेश की है तथा विलंब के भी संतोषप्रद एवं पर्याप्त कारण नहीं बताये है एवं न ही इस बाबत् कोई साक्ष्य ही पेश किये है । जबकि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस के अधिवक्ता श्री हगामीलाल चौधरी पैरवी कर रहे थे तथा उनकी उपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है । इतना भारी विलंब क्षम्य किये जाने योग्य नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 निरस्त कर अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

8. अपीलांटस द्वारा यह अपील अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 31. 10.1984 के विरूद्ध दिनांक 16.8.211 को लगभग 27 वर्षो के बाद पेश की गई है जबकि मियाद अधि0 एवं राज0टिनेन्सी अधि0 के अनुसार अपील की समयावधि 60 दिवस है । यद्यपि अपीलांट ने विलंब के संबंध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश किया है जिसमें 27 वर्षो के विलंब का कारण अजमेर जिले में अकाल होने के कारण अजमेर से बाहर जाना बताया है । प्रार्थीगण को अपने प्रार्थना पत्र में अंकित अभिकथनों को साक्ष्य से साबित करना होता है । 27 वर्षो के विलंब के संबधं में प्रार्थीगण का अभिकथन रहा है कि प्रार्थीगण अजमेर जिले से बाहर रहे है परन्तु इस संबंध में प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं किया है कि अजमेर जिले से बाहर कहां रहे तथा इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है जिससे यह माना जा सके कि प्रार्थीगण गत् 27 वर्षो से अजमेर से बाहर रहे हो । अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व डिक्री उनके अधिवक्ता श्री हगामीलाल चौधरी की उपस्थिति में पारित किया गया है । अधिवक्ता की जानकारी पक्षकार की जानकारी होती है । अपीलांटस/प्रार्थीगण द्वारा गत् 27 वर्षो में अपने अधिवक्ता से श्री हगामीलाल चौधरी से संपर्क क्यों नहीं किया, जबकि वादीगण का यह दायित्व था कि वे अपने वाद के संबंध में अपने अधिवक्ता के संपर्क में रहते तथा प्रकरण की जानकारी प्राप्त करते। गत् 27 वर्षो के दौरान प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं किया हो अथवा निर्णय की जानकारी नही रही हो, यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है । प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथन समुचित, पर्याप्त एवं विश्वसनीय नहीं होने से 27 वर्षो का भारी विलंब (Inordinate delay)क्षम्य नहीं किया जा सकता है ।

9. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज योग्य तथा अपील मियाद बाहर होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य पायी जाती है ।

10. अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 5 मियाद अधी0 खारिज किया जाता है तथा अपील मियाद बाहर होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 11.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर